प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– रुद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयंत्र का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

नगर ~~ग्राम~~ पंचायत का नाम रुद्रप्रयाग
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जल शोधन संयन्त्र परियोजना के निर्माण हेतु (——— हे0 आरक्षित वन भूमि, ——— हे0 सिविल सोयम भूमि..... हे0, वन पंचायत भूमि ——— हे0) अर्थात कुल 0.09 हे0 वन भूमि का ~~उत्तराखण्ड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग~~ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ~~ग्राम~~ पंचायत ~~रुद्रप्रयाग~~ द्वारा दिनांक 30/7/24 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~ग्राम~~ न0पा0 रुद्रप्रयाग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ~~पेयजल निगम~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
विकास अधिकारी
विकास खण्ड-
जनपद रुद्रप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र--23.1

दिनांक 30/7/24 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बरसू-फुनाड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नरेन्द्र प्रसाद	नरेन्द्र प्रसाद
2	[illegible] सिंह [illegible]	[signature]
3	[illegible]	[signature]
4-	विनोद हेमवाल	[signature]
5-	चन्द्र प्रकाश	चन्द्र प्रकाश
6-	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी
7	दिनेश चन्द्र	दिनेश चन्द्र
	मनोज [illegible]	[signature]
9	हिमांशु सेमवाल	[signature]
		सुनीता देवी
10	[illegible] देवी	[illegible]

सरपंच
वन पंचायत बरसू
जनपद उत्तरकाशी

ह0/-
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत बरसू ... उत्तरकाशी

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– रुद्रप्रयाग नगर हेतु मल शोधन संयत्र का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ————

उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जल शोधन संयन्त्र हेतु (0.09 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ———— हे0 वन भूमि) का पेयजल निगम रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक अभाव को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ब्रजेश कुमार तिवारी उपजिलाधिकारी —— रुद्रप्रयाग —— अध्यक्ष
2– श्री जीवन दगाडे उप प्रभागीय वनाधिकारी —— रुद्रप्रयाग —— सदस्य
3– श्री सजीव पाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग सदस्य/सचिव
4– श्री गजेन्द्र सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र —— अगस्त्यमुनि —— सदस्य

सदस्य क्षेत्र पंचायत ... वि0ख0- ...

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

रुद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयन्त्र का निर्माण परियोजना हेतु 0.09 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जल शोधन संयन्त्र रुद्रप्रयाग परियोजना के निर्माण हेतु 0.09 हे0 वन भूमि जल निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र – 23.3

परियोजना का नामः– रूद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयत्र का निर्माण

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद रूद्रप्रयाग के जिला स्तरीय समिति की बैठक वन अधिनियम FRA-2006 के अन्तर्गत दिनांक 02-07-2022 को समय 4:30 P.M पर **श्री मयूर दीक्षित** आई0ए0एस0 जिला मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार, समिति की अध्यक्षतामें सम्पन्न हुई।

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित रूद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयत्र का निर्माण निर्माण हेतु 0.09 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, रूद्रप्रयाग तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी क वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - RUDRAPRAYAG

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes& other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006

A Meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Mayur Dixit I.A.S. deputy commissioner Rudraprayag** on date 02-07-2022 at time 4:30 P.M. at Rudraprayag in which application claiming rights in Rudraprayag area measuring 0.09 hect. for the construction of Water Treatment Plant at **Suzuki Bagad Gadhera (Punad Village)** in forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee.of Rudraprayag (Punad Village) sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place. Rudraprayag
Date 02-07-2022
Chairman

Deputy Commissioner-cum-
District level Committee

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Annexure-1

FORM-1

(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Rudraprayag

No--09 Dated- 02/07/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.09 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttrakhand Peyjal Nigam** (name of user agency) for **Rudraprayag City Water Treatment Plant** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **punad** village (s) in **Rudraprayag** Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.09 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulation and meeting of the Forest Right committee(s), Gram Sabha(s) ,Sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed an **annexure - 23 to annexure - 23.3**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Euclosed: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Annexure-II

FORM-II

(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector ,Rudraprayag

No--09 Dated 02/07/2022

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional. Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in favour of **Uttrakhand Peyjal Nigam** (name of user agency) for **Rudraprayag City Water Treatment Plant** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Punad** village (s) in **Rudraprayag** Tehsils.

It is further certified that:

(a). The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.09 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure- 23 to annexure-23.3**

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest- dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha/Nagar Palika of **Rudraprayag** villages/Towns is enclosed as **annexure -23 to annexure- 23.3**

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Euclosed: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग